

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1675/2011/जोधपुर

सहायक आयुक्त

वृत्त-ई, वाणिज्यिक कर, जोधपुर
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स लीला ब्रदर्स
जोधपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्री एन.के.बैद,
राजकीय उप अभिभाषक
श्री जगदीश राठी
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

व्यवसायी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.02.2014

निर्णय

अपीलार्थी, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-ई, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त(अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2011, जो अपील संख्या 56/आरवेट/जेयूसी/09-01 के संबंध में है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 13.03.2009 को पारित वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर रु. 912738/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों के आलोक में, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कीत माल "टायर्स" के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन को विक्रय के पश्चात (एक्स पोस्ट फेक्टो) प्राप्त होना अवधारित कर, इस संबंध में प्राप्त डिस्काउंट/कमीशन 78,36,620/- को विक्रय मूल्य का भाग मानकर, घोषित विक्रयावर्त में वृद्धि कर, इस पर 4 एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर रु. 9,12,728/- आरोपित किया एवं तिमाही रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित कर कुल वसूली योग्य मांग राशि 9,14,728/- कायम की गयी। जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी अधिकारी द्वारा कायम उपर्युक्त वर्णित मांग राशियों में अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति को विधिसम्मत होना अवधारित करते हुए आरोपित कर जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 01.03.2011 के अपास्त कर दिया। जिससे व्यक्ति होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर को विवादित किया गया है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार कर, कायम की गयी मांग को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में अधिनियम की धारा 2(36) व धारा 2(41) के प्रावधानों को समझाने में प्रथम दृष्ट्या विधिक भूल की है जैसाकि उनके द्वारा क्य किये गये माल के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट / कमीशन को आधार बनाकर यह निष्कर्ष अवधारित करना कि उसके द्वारा कम लाभ पर माल का विक्रय किया गया है तथा उक्त आधार पर विक्रय मूल्य में क्य के पश्चात् प्राप्त डिस्काउंट / कमीशन को जोड़कर, विक्रय मूल्य में वृद्धि करना किसी भी रूप में विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, न ही क्य के संबंध में प्राप्त डिस्काउंट / कमीशन को विक्रय मूल्य में ही अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण—द्वितीय के प्रकाश में, जोड़ा जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में, इस आधार पर मनमर्जी से विक्रयावर्त में वृद्धि कर, करारोपण करना विधिअनुकूल नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में पुनः अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण—द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों को प्रोद्धरित कर, आरोपित कर, अनुवर्ती ब्याज के बिन्दुओं पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण—द्वितीय व धारा 2(41) के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया। उक्त प्रावधानों का मूल पाठ इस प्रकार है:—
अधिनियम की धारा 2(36).—“sale price” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I.—.....

Explanation II.— Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any ex post facto grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

अधिनियम की धारा 2(41). “turnover” means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the

goods which are subject to tax under sub-section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 09.03.2011 को अधिनियम की धारा 18 में अन्तर्स्थापित उप धारा 3(ए) का प्रावधान कि व्यवहारी के क्रय किये गये माल पर प्राप्त आगत कर उसके द्वारा उनको कम मूल्य पर विक्रय किये जाने पर देय कर से अधिक नहीं होगा, भी वर्तमान प्रकरण में प्रासांगिक नहीं है, क्योंकि उक्त प्रावधान 09.03.2011 से प्रभावशील है और हस्तगत प्रकरण वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित है।

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कीत माल पर, प्रथम विक्रेता व्यवहारी से डिस्कॉउन्ट प्राप्त किया है एवम् जिस पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-द्वितीय के प्रावधान लागू किये जाने योग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 2(36) में विक्रय के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त राशि की अवधारणा को परिभाषित कर, स्पष्टीकरण में वर्णित उक्त प्रावधानों अग्रिम रूप से स्पष्ट किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय पर डिस्काउण्ट/कमीशन प्राप्त किया गया है, परन्तु प्रथम विक्रेता व्यवहारी द्वारा इसे घोषित कर योग्य विक्रयावर्त में से कम नहीं किया गया है। उक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रेता व्यवसाईयों से प्राप्त छूट को विक्रय में जोड़ते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने उस पर जो कर आरोपित किया है, वह विधि सम्मत नहीं है। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई न्याय सम्मत औचित्य नहीं है। लिहाजा, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य